कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 17.07.2022

दिनांक 16.07.2022 को गंगाधरपुरम् कालोनी भीटी थाना रामनगर अन्तर्गत हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त विष्णु प्रकाश तिवारी को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। हत्या का कारण गृह कलेश निकला।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के क्रम में दिनांक-16.07.2022 को गंगाधरपुरम् कालोनी भीटी रामनगर में हुई हत्या को को प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय, वरिष्ठ उ0नि0 विजय कुमार यादव, उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह, का0 विष्णु प्रताप सिंह व का0 पुष्करराज के संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-16.07.2022 को गंगाधरपुरम् कालोनी भीटी रामनगर में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त घटना का मुख्य अभियुक्त विष्णु प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 सुधाकर तिवारी निवासी गंगाघरपूरम कालोनी भीटी रामनगर वाराणसी उम्र 49 वर्ष (मृतका का पति) को उसके अपराध का बोध कराते हुए दिनांक-17.07.2022 को समय 16.00 बजे अभियुक्त का घर गंगाधरपुरम् कालोनी भीटी रामनगर वाराणसी से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 17.07.2022 को वादी मुकदमा श्री विष्णु प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 सुधाकर तिवारी निवासी गंगाघरपूरम कालोनी भीटी रामनगर वाराणसी ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 16.07.2022 को मैं टैम्पू चलाकर अपने घर आया घर के अन्दर मेरी पत्नी सरिता तिवारी उम्र 47 वर्ष मरी पड़ी थी जिसे देखकर मैं बेहोस हो गया सुबह जब मुझे होश आया तो मैं घटना की सूचना देने आया हूँ। मेरी पत्नी का किसी ने हत्या कर दिया हैं। घटना की सूचना पर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण श्री आर0एस0 गौतम पुलिस उपायुक्त जोन काशी, श्री राजेश कुमार पाण्डेय अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी एवं श्री त्रिलोचन त्रिपाठी सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली द्वारा किया गया तथा श्री आर0एस0 गौतम पुलिस उपायुक्त जोन काशी द्वारा घटना के अनावरण के निर्देश दिये गए , घटना स्थल से वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित कराया गया व आस-पास के लोगों व मृतका के रिश्तेदारों से भी वार्ता की गयी। घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए गए थे। उक्त के क्रम में घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त घटना का मुख्य अभियुक्त (मृतका के पति) विष्णु प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 सुधाकर तिवारी निवासी गंगाघरपूरम कालोनी भीटी रामनगर वाराणसी उम्र 49 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त विष्णु प्रकाश द्वारा बताया गया कि मेरे व मेरी पत्नी के बीच आये दिन आपस में किसी न किसी बात को लेकर घरेलू विवाद होता रहता था। गृह कलेश से तंग आकर मैनें

दिनांक 16.07.2022 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत अपने आपको बचाने के लिए मैंने थाने पर जाकर किसी अज्ञात व्यकित द्वारा मेरी पत्नी की हत्या करने की बात बताते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया।

<u>पंजीकृत अभियोग :-</u> मु0अ0सं0-0133/2022 धारा 302 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-</u>

विष्णु प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 सुधाकर तिवारी निवासी गंगाघरपूरम कालोनी भीटी रामनगर वाराणसी उम्र 49 वर्ष।

<u>गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान :-</u> दिनांक 17.07.2022, समय 16.00 बजे, अभियुक्त का घर गंगाधरपुरम् कालोनी भीटी।

<u>अभियुक्त का आपरधिक इतिहास :-</u>

मु0अ0सं0-0174/2021 धारा 498ए/323/504/506 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-</u>

1. श्री अश्वनी पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. व0उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 विष्णु प्रताप सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 पुष्करराज थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोन-काशी, कमिश्नरेट वाराणसी